भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1131
10.02.2025 को उत्तर के लिए

देश में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र

1131. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जैव विविधता, वन्य जीवन को विशेष संरक्षण प्रदान करने तथा विकास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकार देश में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पालघर जिले में दहानू तालुका को पारिस्थितिकीय दृष्टि में संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जनता से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

<u>उत्तर</u>
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) केंद्र सरकार भू-दृश्य, ऐतिहासिक मूल्य, जैव विविधता और वन्य जीवन को विशेष संरक्षण प्रदान करने तथा विकासात्मक कार्यकलापों को विनियमित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) को समय-समय पर अधिसूचित करती रही है। अब तक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमईएफएंडसीसी) द्वारा देश में छह ईएसए अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड में दून घाटी और भागीरथी ; राजस्थान में माउंट-आबू; और महाराष्ट्र में दहानू तालुका, महाबलेश्वर-पंचगनी और माथेरान शामिल हैं।

(ग) और (घ) दहानू तालुका, जिला थाणे, महाराष्ट्र को पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 08.02.1991 को अधिसूचना का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद दिनांक 27.02.1991 को शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें संबंधित हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। अधिसूचना के प्रारूप पर दहानू और बॉम्बे के विभिन्न पर्यावरणीय

कार्य समूहों, दहानू के लोगों, दहानू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और दहानू तालुका कृषक समाज, आदि से प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका को दिनांक 20 जून, 1991 के का.आ. 416 (अ), जो अनुलग्नक-I में दिया गया है, के तहत पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय और उसके अंतिम प्रकाशन के समय विधिवत विचार किया गया था। दिनांक 20.06.2021 की अंतिम अधिसूचना में उन उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और उद्योगों तथा औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने संबंधी स्थान के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 20 जून, 1991 की अधिसूचना को दिनांक 22 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया। इसके तहत राज्य सरकार को दहानू तालुका के लिए मास्टर/क्षेत्रीय प्लान अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया (अनुलग्नक-II)। केंद्र सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं को जारी करते समय पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत यथा विहित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

***

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 1991/ज्येष्ठ 30, 1913

No. 359] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1991/JYAISTHA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1991

का. आ. 416 (अ).—दहानु तालुका, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र घोषित करने और पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव डालने वाले उद्योगों की स्थापना करने पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के इरादे के खिलाफ दिनांक 8 फरवरी, 1991 के का. आ. सं. 80(ई) और दिनांक 27 फरवरी, 1991 को जारी शुद्धि-पत्र [का. आ. 147(ई)] के तहत प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लोगों से आपत्ति आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (5) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

और जबकि दहानू तथा बम्बई के पर्यावरणीय कार्य दलों, दहानु के व्यक्तियों, महाराष्ट्र सरकार दहानु उद्योग संघ दहानु तालुका कृषक समाज आदि से कतिपय आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं। इन आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया और तदनुसार इस अधिसूचना में कतिपय संशोधन शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 की उप धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, पारिस्थितिकी रूप से अतिसंवेदनशील दहानु तालुका को संरक्षित करने की आवश्यकता पर विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के क्रियाकलाप, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और संरक्षण के सिद्धान्तों से संगत हैं, दहानु ताल्लुका, जिला थाणे (महाराष्ट्र) को पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करने और ऐसे उद्योगों

की जिनका पर्यावरण पर हानिकर प्रभाव पड़ता है, स्थापना पर निर्बंधन प्रतिरोपित करती है । उद्योगों और औद्योगिक एककों की स्थापना पर उपाबंध में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप होगा ।

तथापि, ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं पर जो इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख के पूर्व उक्त ताल्लुका में पहले से ही अनुमोदित या विद्यमान है। इस अधिसूचना से उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । विद्यमान उद्योगों को सांविधिक मानकों के अनुरूप ही चलाना होगा।

महाराष्ट्र सरकार दहानु ताल्लुका की विद्यमान भूमि पर आधारित ताल्लुका के लिए इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान तैयार करेगी और इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कराएगी। यह मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान स्पष्ट रूप से सभी विद्यमान हरित क्षेत्रों, फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रीय और अन्य पारिस्थितिकीय रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का सीमांकन करेगी । ताल्लुका के लिए मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान में ऐसे क्षेत्रों के लिए भूमि के उपयोग के किसी भी परिवर्तन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। दहानु ताल्लुका की गहरी परिधि के चारों ओर 25 किलोमीटर का एक बफर क्षेत्र उद्योग मुक्त रखा जाना चाहिए जिसके लिए मास्टर प्लान में व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुज्ञेय उद्योगों के अवस्थान के लिए दहानु ताल्लुका के भीतर कुल क्षेत्र अधिकतम 500 एकड़ तक निर्बंधित होगा। औद्योगिक एकक ऐसे स्थलों पर अवस्थित होंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिग्राह्य हों ।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम नियमावली में परिसंकटमय रसायनों के लिए निर्धारित सीमा/मात्रा से अधिक रसायनों का प्रयोग करने वाले उद्योग परिसंकटमय उद्योग समझे जाने चाहिएं । परिसंकटमय अपशिष्ट को एहतिहायती उपाय उठाने के बाद अभिनिर्धारित क्षेत्रों में निपटाया जाए। निपटान क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाना है, उनकी निगरानी की जानी है और मास्टर प्लान में स्थान(का) का अभिनिर्धारण किया जाएगा तथा यह यथासंभव औद्योगिक सम्पदा के लिए अभिनिर्धारित 500 एकड़ क्षेत्र के परिसर के भीतर होगा।

महाराष्ट्र सरकार अधिसूचना में बताई गई शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

[सं. 13011/24/87-आई ए]

र. राजामणि, सचिव

अनुबंध

महाराष्ट्र के थाणे जिले के दहानु तालुका में उद्योगों तथा औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश ।

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय आधार पर दहानु तालुका में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति देने/उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् हरी, नारंगी और लाल । यदि इसमें संदेह हो कि कोई उद्योग किस श्रेणी में आता है, इस बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिखा जायेगा और ऐसे उद्योग को तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है । केवल हरी और नारंगी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले विद्यमान उद्योगों के विस्तार/आधुनिकीकरण को गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

हरी श्रेणी :

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में मंजूरी/नामंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जिन उद्योगों पर विचार किया जा सकता है, उनकी सूची (बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों);

1. केवल गैर-हानिकर और गैर-परिसंकटमय उद्योगों को मंजूरी दी जाएगी (हानिकर और परिसंकटमय उद्योगों में ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी या विषाक्त पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले उद्योग आते हैं) ।

2. प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन न करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जाएगी ।

टिप्पणी : निम्नलिखित कार्यों या कार्य को करने वाले उद्योगों को प्रदूषित औद्योगिक बहिस्रावों का विसर्जन करने वाले उद्योग माना जायेगा, अर्थात् :—

एलीक्ट्रोप्लेटिंग
गालवेनाइजिंग
ब्लीचिंग
डिग्रीजिंग
फास्फेटिंग
रंगाई
फिकलिंग
चर्मशोधन
पालिशिंग
रेशों को पकाना
खालों को डाइजस्टिंग
वस्त्रों की डिजाइजिंग
लोम हटाना, सुखाना, डिलिमिंग तथा वस्त्रों की धुलाई
एल्कोहल का आसवन, स्टिलेज वाष्पन
गन्ने का रस निकालना, फिल्टर करना, अपकेन्द्रण
लकड़ी के कोयले का निर्माण
चीनी तैयार करने के लिए आसवन,
एम डी संयंत्रों में वैकवाश फिल्टरिंग
लुगदी बनाना, लुगदी प्रसंस्करण और कागज बनाना

कोयला पकाना

आक्साइडों की स्ट्रिपिंग

हाइड्रोलिक विसर्जन के जरिए प्रयुक्त रेत की धुलाई

टेटेक्स की धुलाई

विलायक निकालना

3. अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जायेगी।

4. केवल उन्हीं उद्योगों को मंजूरी दी जायेगी, जो विकीर्ण प्रकार की अस्थाई उत्सर्जनों का विसर्जन नहीं करेंगे।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने पर आमतौर पर गैर-हानिकर, गैर-परिसंकटमय और गैर-प्रदूषक श्रेणी में आने वाले कुछ उद्योग निम्नलिखित हैं :—

चावल मिलें, दाल मिलें, अनाज मिलें (आटा उत्पादन के लिए)

सुपारी उत्पादन और मसाला पिसाई

मूंगफली के छिलके निकालना (शुष्क)

वातशीतन संयंत्र और शीत भंडार

बर्फ बनाना

मछली क्रस्टेशियस और इसी तरह के खाद्यों का परिरक्षण तथा प्रसंस्करण

दुग्ध और मक्खन, घी आदि जैसे डैरी उत्पादों का निर्माण

बुक बाइंडिंग

उत्कीर्णन, निक्षारण, ब्लाक बनाना

पत्थर की वस्तुओं का निर्माण, पत्थरों पर डिजाइन बनाना और उन पर पालिश करना (पत्थर पिसाई/पत्थर उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी) ग्रिल, गेट दरवाजे और खिड़की फ्रेम, पानी के टैंक, तार के जाल आदि जैसे धातु निर्माण अवयवों का निर्माण (कोयले के प्रयोग की अनुमति नहीं जाएगी)।

औजारों को पैना करने से संबंधित कार्य,

विद्युत उपकरणों की मरम्मत

खींचने वाली रेहड़ियों, हाथ की रेहड़ियों, बैलगाड़ियों आदि का निर्माण जेवर और उनसे संबंधित वस्तुओं का निर्माण (बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा)।

घड़ियों, दीवार घड़ियों, जेवरातों की मरम्मत बीड़ी निर्माण हथकरघे/पावर से चलने वाले करघे। कढ़ाई और लेस तथा धारियां बनाना।

परदे, मच्छरदानियां, चटाइयां, चादरें, तकियें के गिलाफ, बैग आदि जैसा कपड़े का सामान बनाना।

बने बनाए कपड़े तथा परिधाना बनाना (ड्राई प्रोसेसिंग)।

सूती और ऊनी होजरी (ड्राई प्रोसेसिंग)

हथकरघे से बुनाई।

चमड़े के जूतों तथा चमड़े के सामान का निर्णय (टैनिंग तथा हाइड प्रोसेसिंग के अतिरिक्त)

जूते के फीते बनाना।

शीशों तथा फोटोफ्रेमों का निर्माण।

वाद्य उपकरणों का निर्माण।

खेल कूद के सामान का निर्माण।

बांस तथा बेंत के सामान का निर्माण (केवल ड्राई आपरेशन) कार्ड बोर्ड और कागज का सामान बनाना (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)

पृथक्करण तथा अन्य कोटेड पेपर (कागज तथा लुगदी के सामान के अतिरिक्त)।

वैज्ञानिक और गणितीय उपकरणों का निर्माण।

घरेलू बिजली तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सजीकरण। लिखने के सामान का निर्णय (पेन, पेंसिल आदि)।

पोलीथीन, प्लास्टिक तथा पीवीसी की चीजों की एक्स्ट्रूजन (मोल्डिंग)

शल्य जाली तथा पट्टियों का निर्माण।

कंक्रीट की रेलवे स्लीपरों का निर्माण।

सूती कपड़े की कताई और बुनाई (केवल ड्राई प्रोसेसिंग) रस्सियों का निर्माण (सूत, जूट प्लास्टिक)

कालीन बुनाई।

तारों तथा पाइपों का निर्माण (नान एस्बेस्टॉस)

एक्स्ट्रूजन आफ मेटल।

बिजली तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सजीकरण।

कायर इंडस्ट्रीज।

खिलौने

मोमबत्तियां और अगरबत्तियां।

आयल गिनिंग और एक्सपेलिंग (कोई हाइड्रोजनेशन तथा परिष्करण नहीं)

आइस-क्रीम बनाना।

खनिज जल बनाना।

ट्रंकों और सूटकेसों का निर्माण।

स्टेशनरी की मदों का निर्माण (कागज और स्याही के अतिरिक्त) आप्टीकल फ्रेमों का निर्माण।

कार्यालय तथा घरेलू फर्निचर और उपकरणों का विनिर्माण— लकड़ी एवं स्टील दोनों।

1. (मशीनरी, मशीन के औजारों और उपकरणों (लघु) का विनिर्माण।

तार ड्राइंग (शीत प्रक्रिया), तार नेल्ज, बेलिंग स्ट्रैप्स। इन्सटेंन्ट काफी चाय के कारखाने।

कोयले/कोक के अलावा अन्य ईंधन के प्रयोग द्वारा शीशे के बर्तन।

आप्टिकल ग्लास।

प्रयोगशाला बर्तन।

बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और मिठाई।

आटे की चक्कियां आटे की (रोलर चक्कियों को छोड़कर)

इस सूची में उद्योगों को सुविधा के लिए शामिल किया गया है और यदि किसी मामले में वे उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते तो उन्हें नारंगी तथा लाल श्रेणियों में रखा जाएगा।

नारंगी श्रेणी

उन उद्योगों की सूची, जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त पर्यावरणीय मूल्यांकन और पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ दहानू तालुका में चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

मृत्तिका

मीट का संरक्षण और केनिंग

बिजली के मौजूदा अनुमोदित संयंत्रों से उत्पन्न राख से ईंटों, टाइलों, ब्लाकों, पाइपों आदि जैसी भवन निर्माण की सामग्री का विनिर्माण।

सफाई के बर्तन

तेलों से विलायक द्रव्य निकालने समेत वनस्पति घी

साबुन (वाष्प क्वथन प्रक्रिया के बिना)

सिंथेटिक डिटरजेंट बनाना (नान-फासफेटिक)

वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र (कोयला/कोक के बिना)

औद्योगिक गैसों का निर्माण (केवल नाइट्रोजन, आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड)

प्रोफेलेक्टिक्स और लेटेक्स उत्पादों को छोड़कर सर्जिकल और मेडिकल उत्पाद रबड़ के जूते

माल्ट खाद्य

पम्पों कम्प्रेशरों, प्रशीतन, यूनिटों, अग्नि उपशमन उपकरणों आदि का निर्माण।

चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण।

सुगंध, सुरस और भोज्य संयोजी

कार्बनिक पौधा पोषक

वातिक जल/साफ्ट ड्रिंक्स

उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले 3 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाले उद्योगों को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचारार्थ भेजा जाएगा।

उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले 3 करोड़ रुपये से कम परिव्यय वाले उद्योगों को राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी जायेगी।

लाल श्रेणी

उन उद्योगों की सूची, जिनको दहानु तालुका में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इन श्रेणी में आने वाले उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं :—

ढलाई खानों और मिश्रधातु बनाने की प्रक्रिया में शामिल धातु विज्ञानी उद्योग कोयला और अन्य खनिज प्रसंस्करण उद्योग

सीमेंट संयंत्र

कोयला/कोक के उपयोग पर आधारित उद्योग

तेल शोधक कारखाने

पैट्रो रसायन उद्योग

संश्लिष्ट रबड़ विनिर्माण

ताप और नाभिकीय विद्युत संयंत्र

औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेलों का विनिर्माण

चीनी मिलें

कोक ओवन्स के सह उत्पाद और कोल तारकोल आसवन उत्पादों का विनिर्माण

अल्कालिक और एसिड

विद्युत ताप उत्पादों (कृत्रिम अपघर्षी, केल्सियस कार्बाइड इत्यादि जैसे)

फासफोरस और इसके यौगिक

नाइट्रोजन यौगिक

विस्फोटक

फायर क्रेकर्स

तात्विक अमहाइड्राइड

क्लोरोकृत हाइड्रो-कार्बन वाली प्रक्रियाएं

क्लोरनफ्लोरन ब्रोनोन आयोडीन और उसके यौगिक रासायनिक उर्वरक

सिंथेटिक फाइबर्स और रेयोन

सिंथेटिक कटनाश/कटानुनाश/जलनाश/फूंदनाश इत्यादि का प्रतिशत और निर्माण।

मौलिक औषधियां।

एल्कोहल

कसाईखाना

पशुओं की खाल, चमड़ा आदि का संसाधक और प्रसंस्करण गुब्बारों के विनिर्माण सहित प्लास्टिक अथवा लेटेक्स उद्योग

कोक बनाना, कोयले का द्रवकरण

जलाने की गैस का विनिर्माण

फाइबर ग्लास उत्पादन या प्रसंस्करण

रंगाई और उनकी इंटरमेडिएटस

औद्योगिक कार्बन और कार्बन उत्पाद

विद्युत रसायन और उनके उत्पाद

पेंट्स इनेमल और वार्निश

पोल विनाइल क्लोराइड

पोलो प्रोपाइलीन

क्लोरेटस पार्क्लोरेटस और पैरोक्साइड

पोलिस

सिंथेटिक रेजिन्स

प्लास्टिक

एस्बेस्टास

पत्थर तोड़ने के कारखाने

टिप्पणी : जो उद्योग ऊपर दर्शाये गई तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आते उनके वर्गीकरण के मामले में निर्णय तीन करोड़ से कम परिव्यय वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा और अन्य मामलों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को भजेगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1991.

S.O. 416 (E):—Whereas a notification under Clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, inviting objections from the concerned quarters within a period of sixty days from the date of publication of the said notification, against Govt.'s intention to declare Dahanu Taluka, District Thane (Maharashtra) as an ecologically fragile area and to impose restrictions on the setting up of industries which have detrimental effect on the environment was published vide S. O. No. 80 (E), dated 8th February, 1991 and Corrigendum (S. O. 147 (E) issued on 27th February, 1991).

And whereas certain objections were received from Environmental Action Groups of Dahanu & Bombay, individuals of Dahanu, Govt. of Maharashtra, Dahanu Industries Association, Dahanu Taluka Krushak Samaj etc. These objections were duly considered and accordingly certain modifications have been incorporated in this notification.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra, after considering the need for protecting the ecologically sensitive Dahanu Taluka, and to ensure that the development activities are consistent with principles of environmental protection and conservation, hereby declare Dahanu Taluka, District Thane (Maharashtra) as an ecologically fragile area and to impose restrictions on the setting up of industries which have detrimental effect on the environment.

The location for siting of industries and industrial units shall be in conformity with the Guidelines given in the Annexure.

However, the industrial projects already approved or in existence in the said Taluka before the date of issue of this notification, will not be affected by this notification. The existing industries shall have to conform to the satatutory standards.

The Government of Maharashtra will prepare a Master Plan or Regional Plan for the Taluka based on the existing and land use of Dahanu Taluka within a period of 1 year from the date of this notification and get the plan approved by the Ministry of Environment & Forests. This Master Plan or Regional Plan will clearly demarcate all the existing green areas, orchards, tribal areas and other environmentally sensitive areas. No change of existing land use will be permitted for such areas in the Master Plan or Regional Plan for the Taluka. A buffer zone of 25 kms. should be kept free of industries around the outer periphery of Dahanu Taluka for which provision may be made in the Master Plan. The total area within the Dahanu Taluka for location of permissible industries will be restricted to a maximum of 500 acres within the industrial areas earmarked in the Master Plan. The industrial units will be located at sites that are environmentally acceptable.

Industries which are using chemicals above the limits/quantities as prescribed in the Environment Protection Act Rules for hazardous chemicals, notified by the Government of India, should be considered hazardous industries. Hazardous waste may be disposed off in the identified areas after taking precautionary measures. The disposal areas have to be prescribed carefully, monitored and enforced and the site(s) will be identified in the Master Plan and will be, as far as possible, within the premises of the 500 acres area identified for the Industrial estate.

The Government of Maharashtra will constitute a monitoring Committee to ensure the compliance of the conditions mentioned in the notification, in which local representatives may be included.

[No. J-13011/24/87-IA]
R. RAJAMANI, Secy.

ANNEXURE

GUIDELINES FOR PERMITTING/RESTRICTING INDUSTRIES AND INDUSTRIAL UNITS IN THE DAHANU TALUKA, THANE DISTRICT IN MAHARASHTRA

Industries will be classified under three categories, viz. Green, Orange and Red as shown below for

purposes of permitting/restricting such industrial activities in Dahanu Taluka on the basis of environmental and ecological considerations. In case of doubt as to the category in which the industry falls, a reference shall be made to the Ministry of Environment & Forests, Government of India, and such industry will not be permitted until cleared by the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India. Expansion/modernisation of existing industries falling in green and orange categories only would be considered on merit. Some restriction in Volume of waste water generated, i.e. 2 to 3 CMD may be imposed for certain type of small scale units falling under Green or Orange categories.

GREEN CATEGORY

List of industries that can be considered by the Maharashtra Government agencies for approval/ rejection in approved industrial areas without prior approval of the Ministry of Environment & Forests, Government of India (provided that all the following conditions are satisfied) :

1. Only those industries that are non-obnoxious and non-hazardous will be permitted. (Obnoxious and hazardous industries include those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances.)

2. Only those industries that do not discharge industrial effluents of a polluting nature will be permitted.

Note :— Industries that undertake any of the following processes or process of similar nature shall be regarded as industries that discharge industrial effluents of a polluting nature, namely :—

Electroplating

Galvanizing

Bleaching

Degreasing

Phosphating

Dyeing

Pickling

Tanning

Polishing

Cooking of fibres.

Digesting of hides.

Desizing of fabrics.

Removal of hair, soaking deliming and washing of fabric.

Distillation of alcohol stillage ,evaporation.

Crushing of sugarcane, filtration, centrifugation, distillation for extraction of sugar.

Manufacture of charcoal.

Canning and processing of fruits and vegetables including production of Jam, Jelly, Sauce etc.

Filtering backwash in D.M. Plants.

Pulp making, pulp processing and paper making.

Coking of coal.

Stripping of oxides.

Washing of used sand by hydraulic discharge.

Solvent extraction.

3. Only those industries that do not use coal in their manufacturing process will be permitted.

4. Only those industries that do not emit fugitive emissions of a diffused nature will be permitted.

Note :—(1) Some of the industries that ordinarily fall in the non-obnoxious, non-hazardous and non-polluting category, subject to fulfilment of the above conditions are :—

Rice Mills, Dal Mills, Grain Mills (for production of flour).

Manufacture of supari and masala grinding.

Groundnut decorticating (dry).

Chilling Plants and cold storages.

Ice making.

Preserving and processing of fish, crustaceous and similar foods.

Manufacture of milk and dairy products such as butter, ghee, etc.

Book binding.

Engraving, etching, blockmaking.

Manufacturer of structural stone goods, stone dressing and polishing (stone crushing/stone quarrying will not be permitted).

Manufacture of metal building component such as grills, gates, doors and window frames, water tanks, wire nets, etc. (use of coal not permitted).

Tool sharpening works.

Repairs of electrical appliances.

Manufacture of push carts, hand carts, bullock carts, etc.

Manufacture of jewellery and related articles (no power to be used).

Repairs of watches, clocks, jewellery.

Manufacture of bidis.

Handlooms, Powerlooms.

Embroidery and the making of laces and fringes.

Manufacture of made up textile goods such as, curtains, mosquito nets, mattresses, bedding material, pillow cases, bags, etc.

Ready-made garments and Apparel making (dry processing).

Cotton and woolen hosiery (dry processing).

Handloom weaving.

Manufacture of leather foot wear and leather products (excluding tanning and hide processing).

Shoe lace manufacturing.

Manufacture of mirrors and photoframes.

Manufacture of musical instruments.

Manufacture of sports goods.

Manufacture of bamboo and cane products (dry operations only).

Manufacture of cardboard and paper products (Paper and pulp manufacture excluded).

Insulation and other coated papers (Paper and pulp manufacture excluded).

Manufacture of scientific and mathematical instruments.

Assembly of domestic electrical and electronic appliances.

Manufacture of wiriting instruments (pens, pencils, etc.).

Extrusion moulding of polythene, plastic and PVC goods.

Manufacture of surgical gauzes and bandages.

Manufacture of concrete railway sleepers.

Cotton spinning and weaving (dry processes only).

Manufacture of ropes (cotton, jute, plastic).

Carpet weaving.

Manufacture of wires and pipes (non-asbestos).

Extrusion of metal.

Assembly of electric and electronic equipment.

Coir industries.

Toys.

Wax candles and agarbatis.

Oil-ginning and axpelling (no hydrogenation and no refining).

Manufacture of ice-cream.

Manufacture of mineral water.

Manufacture of trunks and suitcases.

Manufacture of stationery items (except paper and inks).

Manufacture of optical frames.

Manufacture of office and household furniture and appliances.—both steel and wood.

Manufacture of machinery and machine tools and equipment (small-scale).

Wire drawing (cold process), Wire Nails, Baling straps.

Processing of instant Coffee/tea.

Glassware using fuel other than cal/coke.

Optical Glass.

Laboratoryware.

Bakery products, biscuits and confectionery.

Flour mills (excluding Roller flour mills).

(2) The inclusion of industries in this list is for convenience and if in a given case they do not fall in the above category they will be treated as in the Orange or Red Categories.

ORANGE CATEGORY

List of industries that can be permitted in Dahanu Taluka with proper Environmental Assessment and adequate Pollution Control Measures in sites that have been approved by the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

Ceramics.

Preservation of meat and canning.

Manufacture of building materials, such as bricks. tiles, blocks, pipes etc. from fly ash generated from the approved/existing power plants.

Sanitaryware.

Vegetable oils including solvent extracted oils.

Soap (without steam boiling process).

Formulation of synthetic detergents (non-phosphatic).

Steam generating plants (without coal/coke).

Manufacture of industrial gases (only Nitrogen, oxygen and Co_2.)

Surgical and Medical products, excluding prophylactics and latex products.

Rubber Foot wear.

Malt foods.

Manufacture of pumps compressors, refrigeration units and fire fighting equipment.

Medical and surgical instruments.

Fragrances, flavours and food additives.

Organic plant nutrients.

Aerated waters/soft drinks.

Industries falling within the above category with an outlay exceeding Rs. 3 crores will have to be referred to the Ministry of Environment & Forests, Government of India for consideration.

Industries falling within the above category with an outlay not exceeding Rs. 3 crores shall be granted environmental clearance by the State Government Environment Deptt. and the MPCB.

RED CATEGORY

List of industries that cannot be permitted in Dahanu Taluka.

The illustrative list of industries that fall within this category include :—

Metallurgical industries including foundries and alloy making processes.

Coal and other mineral processing industries.
Cement Plants.

Industries based on the use of coal/coke.
Refineries.

Petrochmeical industries.

Synthetic Rubber Manufacture.

Thermal and nuclear power plants.

Manufacture of vanaspati. hydrogenerated vegetable oils for industrial purposes.

Sugar Mills.

Manufacture of by-products of coke ovens and coal tar distillation products.

Alkalis and acids.

Electro-thermal products (such as artificial abrasives, calcium carbide, etc.).

Phosphorus and its compounds.

Nitrogen compounds.

Explosives.

Fire-crackers.

Pthalic anhydride.

Processes involving chlorinated hydrocarbons.

Chlorine, fluorine, bromine. iodine and their compounds.

Chemical fertilizers.

Synthetic fibres and rayon.

Manufacture and formulation of synthetic pesticides/insecticides/bactericides/fungicides etc.

Basic drugs.

Alcohol.

Slaughterhouse

Tanning and processing of animal, skins, hides, leather, etc.

Plastic or latex industry including manufacturing of Balloon.

Making of coke, liquefaction of coal.

Manufacture of fuel gas.

Fibre glass production or processing.

Dyes and their intermediates.

Industrial carbon and carbon products.

Electro-chemicals and their products.

Paint, enamels and varnishes.

Poly vinyl chloride.

Polypropylene.

Chlorates, per chlorates and perovides.

Polistics.

Synthetic resins.

Plastics.

Asbestos.

Stone Crushing Units.

Note :—The case of industries which do not fall in any of the above mentioned three categories, decision in regard to their classification will be taken by the State Government for those projects having an outlay not exceeding Rs. 3 crores and for others reference is to be made to the Ministry of Environment & Forests, Government of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225385
CG-DL-E-23022021-225385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766]	नई दिल्ली सोमवार, फरवरी 22, 2021/ फाल्गुन 3, 1942	
No. 766]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/ PHALGUNA 3, 1942	

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

का.आ. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में दहानु ताल्लुका को पारिस्थितिकी नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषणा के लिए का.आ.संख्या 416 (अ), तारीख 20 जून, 1991 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 6 में, "*पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा योजना को अनुमोदित करवाना*" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित करवाना" शब्द, रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/120/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 416(अ), तारीख 20 जून, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 1211(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2002 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2021

S.O. 834(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section(2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published *vide* number S.O. 416(E), dated the 20th June, 1991 for declaration of Dahanu Taluka, District Thane in the State of Maharashtra as an ecologically fragile area, namely:—

In the said notification, in paragraph 6, for the words, "*get the plan approved by the Ministry of Environment & Forests*", the words "get the plan approved by the Competent Authority in the State Government for its effective implementation" shall be substituted.

[F. No. 25/120/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 416(E), dated the 20th June, 1991 and was last amended *vide* number S.O. 1211(E), dated the 18th November, 2002.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.02.23 22:10:26 +05'30'